पत्रिका

आम आदमी पार्टी ने जिला शिक्षा कार्यालय की कार्यशैली पर उठाए सवाल

न्यायालय में सुनवाई के बीच 74 बच्चों का एडमिशन निरस्त करने के लगाए आरोप

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दुर्ग. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कथित तौर पर गलत जानकारी देकर प्रवेश और मामले में कार्रवाई को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि मामले में पालकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, इस पर जिला शिक्षा कार्यालय ने 74 बच्चों का एडमिशन निरस्त कर टीसी ले जाने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश को न्याय की अवधारणा के विरूद्ध करार देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के नेता, पालकों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। आप नेताओं का कहना था कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निजी स्कूल संचालकों को लाभ पहुंचाने यह आदेश जारी किया गया है।

नहीं तो बच्चों के साथ किया जाएगा आंदोलन

आप नेता मेहरबान सिंह ने बताया कि कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जानकारी दी गई है। डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सभी 74 बच्चों को पढ़ाई जारी रखने का आदेश जारी करने की मांग की गी है। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता, तब तक बच्चों को स्कूल जाने से रोका नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बच्चों के साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा।

टीसी निकालने कहा जा रहा

कलेक्टोरेट पहुंचे आप पार्टी के आईटीआई विंग के प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह, भिलाई नगर विधानसभा अध्यक्ष जसप्रीत सिंह व प्रदेश सचिव के ज्योति ने बताया कि जिला शिक्षा कार्यालय के आदेश के बाद निजी स्कूल प्रबंधनों ने पालकों को बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए पत्र जारी कर दिया है तथा टीसी निकाल लेने कहा जा रहा है। आप नेताओं ने कहा कि जब तक मामले में हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाई करने दिया जाना चाहिए। आप नेताओं ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर ही मामले की जांच शुरू की थी। अब न्यायालय के निर्णय लेने से पहले कार्रवाई कर रहे हैं। इस निर्णय से बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में न्यायालय का फैसला बच्चों के पक्ष में आया तो पढ़ाई के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। आप नेताओं ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी की जांच भी संदिग्ध है।

दस्तावेज जांच कर दिया एडमिशन

जसप्रीत सिंह ने बताया कि जिन बच्चों के एडमिशन के दौरान जिला शिक्षा विभाग के अफसरों ने दस्तावेजों की जांच की। घर जाकर सत्यापन किया गया। इसके बाद एडमिशन दिया गया। अब 2 साल पढ़ाई के बाद बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना, न्याय संगत नहीं है। यह सब निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

शिक्षक की कमी को लेकर प्रदर्शन

बारिश में अखरा के पीएमश्री स्कूल में जड़ा ताला

पाटन @ पत्रिका. नगर पंचायत अंतर्गत अखरा वार्ड स्थित पीएमश्री स्कूल में पालकों व छात्र-छात्राओं ने शिक्षकों की मांग को लेकर मंगलवार को बरसते पानी में मुख्य द्वार में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद वहां पहुंचे विकासखंड शिक्षाधिकारी प्रदीप महिलांगे ने पालकों से चर्चा कर समझाइश दी। शिक्षकों की समस्या का हल निकालने के आश्वासन के बाद पालकों ने स्कूल का ताला खोला।

मिली जानकारी के अनुसार पीएम श्री प्राथमिक शाला अखरा पाटन में एक से पांचवीं तक कक्षा में दर्ज संख्या 166 है लेकिन युक्तियुक्तकरण शिक्षक देवेंद्र कुमार साहू को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों ने कलेक्टर जनदर्शन व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर शिक्षक की मांग कर चुके है लेकिन आज तक केवल आश्वासन ही मिला है। समिति अध्यक्ष रामनाथ साहू ने शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाया कि इस पीएमश्री स्कूल के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार किया जा रहा है।

प्रदर्शन में शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर छेदिया, योगश्वर वर्मा, उपाध्यक्ष लक्ष्मी ठाकुर, माणिक निषाद, गंगाराम निषाद, गावस्कर देवांगन, कृष्णा चंद्राकर, गोलू वर्मा, सेयूक धीमर, हस्ती साहू व मधु ठाकुर के अलावा पालकगण उपस्थित थे।